प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 08.11.2025**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2025 को वादी श्री प्रवेन्द्र उर्फ भुट्टू पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम बदरखा, थाना छपरौली, जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर लिखित तहरीर दी गई कि बच्चों द्वारा पटाखे जलाने के विवाद से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों 1-मेहरूद्दीन, 2. यामीन, 3. सलीम, 4. वसीम, 5. शादीन, 6. इस्लाम, 7. समीर पुत्र इस्लाम, 8. सैम पुत्र इस्लाम, 9. सादा उर्फ शमशाद पुत्र हनीफ, 10. आश मोहम्मद पुत्र सादा, 11. आश पुत्र सादा, 12. आसिफ पुत्र सादा, 13. चैपी पुत्र सादा, 14. प्रवीन पुत्र इस्लाम, 15. 02 महिला तथा अन्य अज्ञात अभियुक्त समस्त निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे, तबल व अन्य हथियार लेकर वादी के घर में घुस गए । अभियुक्तों द्वारा वादी एवं उसके परिजनों के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट, गाली-गलौज की गई, जिससे वादी प्रवेन्द्र, उसका भाई अरविन्द, पिता करण सिंह, माता, पत्नी एवं भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए । मारपीट के दौरान वादी के पिता के दाहिने पैर एवं वादी के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर

मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वाछिंत 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में पूर्व में 02 अभियुक्ता सहित अन्य 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार बागपत में निरुद्ध किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-वसीम पुत्र मेहरदीन नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-इस्लाम पुत्र मेहरदीन नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।
3-सलीम पुत्र मेहरदीन नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-आशू उर्फ आस मौ0 पुत्र सादा उर्फ शमशाद नि0 ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री अमित गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।
3-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 08.11.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 331/25 धारा 109/324/249 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली जनपद बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 331/25 धारा 109/324/249 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा एक तमंचा मौके पर ही फेंक दिया गया था। उक्त तमंचा थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 14.10.2025 को बरामद कर लिया गया, जिसके संबंध में थाना बिनौली पर विधिक प्रावधानों के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

नीतीश पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

निशांदेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 331/25 धारा 109/324/249 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधि थाना बिनौली जनपद बागपत।)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री विकाश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-है0का0 222 अनुज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनांक 08.11.2025**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 310/2025 धारा 85/115(2)/352/351(3)/80 बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित अन्य 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.11.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री रामफल पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम दादरी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी अभियुक्तों 1.सुमित पुत्र सतेन्द्र उर्फ सेठपाल, 2.सतेन्द्र उर्फ सेठपाल पुत्र नामालूम, 3. सचिन, 4.विपिन पुत्रगण सतेन्द्र उर्फ

सेठपाल व 02 महिला निवासीगण ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की गयी तथा अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट कर गाली गलौच की तथा दहेज की पूर्ति ना होने पर वादी की पुत्री की हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थना रमाला पर मु0अ0सं0 310/2025 धारा 85/115(2)/352/351(3)/80 बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 310/2025 धारा 85/115(2)/352/351(3)/80 बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित अन्य 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुमित पुत्र सतेन्द्र उर्फ सेठपाल निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-सतेन्द्र उर्फ सेठपाल पुत्र भौरा निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।

3- 01 महिला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्नोई थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-म0का0 82 निर्मल चौधरी थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 08.11.2025**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1-मोनू उर्फ ऐप्पल पुत्र सुन्दर निवासी घास मण्डी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 23 बर्ष।

2-अमन पुत्र कृष्णपाल निवासी घास मण्डी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 22 बर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विविध महाजन थाना बडौत जनपद बागपत।

2-का0 919 गजेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 970 रोहितअत्री थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 08.11.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रामेन्द्र पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम अहैड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-रविन्द्र उर्फ मोटा पुत्र भौपाल सिंह नि0 पट्टी मोल्हू ग्राम बाबली थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम। (01 वारंटी)

2-थाना बडौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)